

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एसबी आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 1171/2025

1. भजन लाल पुत्र नारायण राम, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी बाछला, धोरीमन्ना, बाडमेर, राजस्थान।
2. मनोहर पुत्र भीखा राम, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी काबूली, धोरीमन्ना, बाडमेर, राजस्थान।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, लोक अभियोजक के माध्यम से
2. दिनेश कुमार पुत्र मोहन लाल, निवासी धोरीमन्ना, बाडमेर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता(गण) के लिए	:	श्री विकास विश्वाई
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री विक्रम राजपुरोहित, उप-रा.अ. श्री आर.एस. भाटी, स.रा.अ.

माननीय श्रीमान न्यायाधिपति फरजंद अली

आदेश

प्रकाशनीय

06/03/2025

1. बीएनएसएस की धारा 528 के तहत इस तत्काल आपराधिक विविध याचिका को दायर करके, याचिकाकर्ता ने आईपीसी की धारा 365, 382, 323 और 34 के तहत अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन धोरीमन्ना, जिला बाडमेर में पंजीकृत एफआईआर संख्या 217/2023 को रद्द करने की मांग की
-

है , साथ ही इससे उत्पन्न सभी कार्यवाहियों को इस आधार पर रद्द करने की मांग की है कि पक्षों ने अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है।

2. शिकायतकर्ता दिनेश कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 14.08.2023 को शाम लगभग 7 बजे, जब वह अपने दोस्त की दुकान के बाहर बैठा था, काले शीशे वाली एक सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी उसके पास आई। एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे पास आने का इशारा किया और पास आते ही उक्त व्यक्ति ने उसकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी और उसे जबरन गाड़ी में डाल लिया। गाड़ी के अंदर, दो अन्य आरोपी, भजनलाल और मनोहर पहले से ही मौजूद थे। शिकायतकर्ता को एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहाँ उसके साथ मारपीट की गई और उसकी सोने की चेन लूट ली गई। आरोपियों ने पुलिस को मामले की सूचना देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। इन आरोपों के आधार पर, एफआईआर संख्या 217/2023 दर्ज की गई और जांच की गई, जिसके परिणामस्वरूप एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा फरार है।
3. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
4. वर्तमान मामले के तथ्यात्मक स्वरूप से पता चलता है कि अभियुक्तों ने आपराधिक इरादे से शिकायतकर्ता का बंदूक की नोक पर अपहरण किया, उस पर हमला किया और उसकी संपत्ति लूट ली। आरोप गंभीर हैं और चिकित्सा साक्ष्यों तथा गवाहों के बयानों से समर्थित हैं। अभियुक्तों में से एक, भजनलाल, एक घोषित अपराधी है, और कानून से उसका बार-बार

बचना एक गहन न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकता को और भी रेखांकित करता है।

5. इसके अलावा, जाँच में आरोपियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 365, 382, 323 और 34 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला स्थापित हुआ है। केवल इस तथ्य से कि शिकायतकर्ता ने आरोपियों के साथ समझौता कर लिया है, उन्हें उनके आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता, खासकर जब अपराध गैर-समझौता योग्य हो। समझौते के आधार पर ऐसे मामलों को रद्द करने की अनुमति देना आपराधिक कानून के मूल उद्देश्य को ही कमजोर करेगा और अपराधियों को प्रोत्साहित करेगा।
 6. भारतीय दंड संहिता की धारा 365 किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंधक बनाने के इरादे से उसका अपहरण या अपहरण करने के कृत्य को अपराध मानती है। यह अपराध गंभीर प्रकृति का है क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है और उसकी सुरक्षा को खतरा होता है। यह एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है, जिसके लिए जुर्माने के साथ-साथ सात साल तक की कैद की सजा हो सकती है। अपराध की गंभीरता इतनी गंभीर है कि यह पीड़ित की सुरक्षा और सलामती को सीधे प्रभावित करता है, जिससे यह दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 320 के तहत एक गैर-समझौता योग्य अपराध बन जाता है।
 7. भारतीय दंड संहिता की धारा 382 उन मामलों से संबंधित है जहाँ चोरी, मृत्यु, चोट पहुँचाने या रोकने की तैयारी के बाद की जाती है। यह धारा 378 के तहत साधारण चोरी से भी अधिक गंभीर अपराध है, क्योंकि इसमें पूर्व-नियोजित हिंसा या जबरदस्ती का तत्व शामिल है। इस धारा के तहत
-

अपराध भी संज्ञेय और गैर- जमानती है , जिसके लिए जुर्माने के साथ-साथ दस साल तक की सजा का प्रावधान है। इस प्रावधान की गंभीरता को देखते हुए, कानून पक्षों के बीच समझौते की अनुमति नहीं देता है।

8. भारतीय दंड संहिता की धाराओं 365 तथा 382 के तहत अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अनुसार, अ-शमनीय अपराधों की श्रेणी में आते हैं। इस वर्गीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक व्यवस्था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले गंभीर अपराधों का निजी समझौतों के लिए दुरुपयोग न किया जाए। ऐसे अपराधों का शमन एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा, जिससे आरोपी व्यक्ति आर्थिक समझौतों या बलपूर्वक हथकंडों के माध्यम से न्याय से बच निकलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में कहा है कि अदालतों को जघन्य अपराधों, विशेषकर व्यापक रूप से समाज को प्रभावित करने वाले अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।
9. उपरोक्त विवेचना के आलोक में, इस न्यायालय को वर्तमान याचिका में कोई सार नहीं दिखता। अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति के, संज्ञेय और असंयोज्य हैं। समझौते के आधार पर प्राथमिकी संख्या 217/2023 को रद्द करने की अनुमति देना एक अस्वास्थ्यकर मिसाल कायम करेगा और आपराधिक न्याय के उद्देश्य को विफल करेगा। तदनुसार, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।
10. स्थगन याचिका पर चर्चा की जा रही है।

(फरजंद अली),जे

36-ममता/-

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है. एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी